

30/3/26

अभ्यपक्ष अनुपस्थित। न्यायालय समय में कोई वाद
आवाज लगवाने के बाद भी कोई लाजिस् नहीं
आया। अतः वादपत्र/प्रा० पत्र अदम गजिस् ग्य
अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता
है। पत्रावली फैसला शुमार न. से कम की जाकर
दाखिल दफ्तर हो।

४५